

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक /पटना, दिनांक /2018

सं0सं0-ह0क0-(14)अनुश्रवण (डिजाइन स्टूडियो)-07 / 2017

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ह0एवं ले0)
बिहार, पटना।
द्वारा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:-वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की योजना "भागलपुर मेगा हैण्डलूम कलस्टर" अन्तर्गत डिजाइन स्टूडियो एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेन्ट सेन्टर के निर्माण हेतु राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने हेतु 17,84,000/- (सत्रह लाख चौरासी हजार) मात्र के विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की योजना "भागलपुर मेगा हैण्डलूम कलस्टर" अन्तर्गत भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, ग्राम-मोहिउद्दीनपुर, प्रखण्ड-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर में डिजाइन स्टूडियो एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेन्ट सेन्टर का निर्माण परियोजना लागत ₹ 89,25,000/- पर किया जाना है। इसके निर्माण में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 80:20 निर्धारित है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश राशि ₹ 28,56,000/- (अठाइस लाख छप्पन हजार) कार्यान्वयन अभिकरण "भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर को स्वीकृति प्रदान किया है। इस निमित्त कुल परियोजना लागत ₹ 89,25,000/- (नवासी लाख पच्चीस हजार) का 20% राज्यांश राशि ₹ 17,85,000/- (सत्रह लाख पचासी हजार) के विरुद्ध ₹17,84,000/- (सत्रह लाख चौरासी हजार) को पुर्नविनियोग के द्वारा व्यय करने की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश सं0-5490 दि0-26.12.2017 द्वारा प्रदान की गई है।

2. प्रस्तावित राज्यांश राशि ₹ 17,84,000/- (सत्रह लाख चौरासी हजार) की निकासी मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, माँग सं0-23, उप शीर्ष 0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23-2851001030103 विषय शिर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों का निर्माण से विकलित होगा। जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथेष्ट बजट उपबंध पुर्नविनियोग से किया गया है।

3. स्वीकृत राशि ₹17,84,000/- (सत्रह लाख चौरासी हजार) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। जो स्वीकृत राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0-277 में उपलब्ध करायेगें। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना के आदेशानुसार डिजाइन स्टूडियो एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेन्ट सेन्टर योजनान्तर्गत वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के अनुपात में इस राज्यांश राशि का भुगतान "भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर को उनके बैंक खाता में करेंगे।

कृ०पृ०उ०

4. योजना के लेखा-जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दीरा भवन, राम चरित्र पथ, पटना की होगी, जो वित्त विभाग के पत्र सं० को प्र० विविध-06/2015-8599 दि०-01.10.2015 एवं 7280 दि०-14.09.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. इस योजना का अनुश्रवण निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना करेंगे।
6. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति संचिका सं०- ह०क०-(14)अनुश्रवण (डिजाईन स्टूडियों)-07/2017 के पृ०-22/टि० पर दि०-18.12.2017 को प्राप्त है जिसका डायरी सं०-6280 दि०-15.12.2017 है।
7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका सं०-ह०क०-(14)अनुश्रवण (डिजाईन स्टूडियों)- 07/2017 के पृ०-32/टि० पर दि०-13.03.2018 को प्राप्त है।
8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 वि(2) दि०-17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/ वि(2) दि०-5.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह०/-
अपर सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- / पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- / पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- वरीय लेखा पदाधिकारी, ह०रे० निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1139 / पटना, दिनांक- 16-3-18
प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर/आई०टी०, मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

अ० 27/3/18